संख्या- 65 /2018 / 821 /चार-2018 -14 (बजट)/ 2017

प्रेषक,

जगत राज
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/2018/220/चार-2018-14(बजट)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु रू0 311.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 75.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश में कतिपय त्रुटि होने के कारण शासनादेश संख्या-22/2018/220/चार-2018-14(बजट)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 एवं अन्य संशोधन आदेश भी एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

2- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा धनराशि रू0 323.75 लाख का आगणन गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

3- इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2015/बी-2-2973/दस-2015-10/77 दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के निर्देशानुसार प्रायोजनाओं के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-4110/चार-2015-131(वि)/2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा गठित विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 311.00 लाख निर्धारित की गयी है।

4- अतएव वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर के सुदृीकरण के अन्तर्गत परिसर की लैण्ड स्केपिंग एवं पार्क के विकास व समुचित प्रकाश व्यवस्था के कार्यो हेतु रू0 311.00 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संग्रहालय निदेशालय की होगी।

(2) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

(4) निदेशक, संग्रहालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, संग्रहालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा

4- उपर्युक्त स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक - 4202 -शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय - 39-राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर का सुदृढीकरण- 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-316 /दस-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगत राज)
सचिव

संख्या- 65 /2018/ 821 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, ग्लोबल कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, , उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, इकाई-गोरखपुर
4- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- ''परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण इकाई, गोरखपुर
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 वन्दना वर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।